

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	अशोक कुमार शर्मा, एबीईईओ - टोंक	03.05.1958	31-05-2018
2	शान्तिलाल जाटोलिया, एबीईईओ -भोपाल सागर वित्तौडगढ	06.05.1958	31-05-2018
3	बलजिन्द्र कौर, कालिया- गंगानगर	01.06.1958	31-05-2018
4	रजनी लाम्बा, मावण्डा खुर्द - सीकर	01-07-0958	30-06-2018
5	अमर सिंह, हन्तरा,नदबई- भरतपुर	16.07.1958	31-07-2018
6	रामकिशन, नूहन्द चूरु	27.07.1958	31-07-2018
7	पूराराम, लाम्बा-बिलाडा जोधपुर	30.07.1958	31-07-2018
8	विमला देवी शर्मा, किशनलाल जोशी डीग भरतपुर	01.08.1958	31-07-2018
9	पर्वत सिंह सूरतगढ श्रीगंगानगर	10.09.1958	30.09.2018
10	उषा वशिष्ठ, खुडाला- पाली	01.11.1958	31.10.2018
11	मंजलता यादव, देबारी उदयपुर	27.11.1958	30.11.2018
12	नत्थू सिंह, पलथाना सीकर	25.01.1959	31.01.2019
13	भगवन्ती सोनी, बा0 चौमहला झालावाड	01.03.1959	28.02.2019
14	मुरली मनोहर शर्मा, हेमडा झालावाड	27.03.1959	31.03.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही, विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19

दिनांक-26/06/2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर  
आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री सवाई सिंह, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, लोलावास-लूणी, जोधपुर जिनकी जन्म तिथि:- 15.05.1964 ने दिनांक 01.05.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 02.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है ।

श्री सवाई सिंह, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, लोलावास-लूणी, जोधपुर प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते है । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 02.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री सवाई सिंह के विरुद्ध आज तक -

4. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
5. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
6. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आ.प.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018-19

दिनांक- 26/06/2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि लोलास-लूणी, जोधपुर
5. श्री सवाई सिंह, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, लोलावास-लूणी, जोधपुर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर